

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग, जयपुर

क्रमांक: - F/165(07)/परावी/ले ब /SFC-5/2018-19/5334

जयपुर, दिनांक - 28/08/2018

(स्वीकृति संख्या : 11 / 2018-19)

विषय :- राज्य वित्त आयोग, पंचम की वित्तीय वर्ष की प्रथम किश्त की राशि जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तांतरण बाबत ।

प्रसंग :- वित्त (व्यय -5) विभाग की ID संख्या 271800293 दिनांक 16-07-2018 ।

राज्य वित्त आयोग, पंचम की वित्तीय वर्ष की प्रथम किश्त की राशि रु. 29633.71 लाख (अक्षरे राशि दो अरब छियानवे करोड़ तेत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में संलग्न सरणीनुसार के हस्तांतरण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है

| मांग संख्या | बजट मद | राशि (लाख में) |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 41 | 2515-00-196-(04)-[02]-12-State Fund | 40.59.82 |
| 30 | 2515-00-196-(04)-[03]-12-State Fund | 8,00.11 |
| 51 | 2515-00-196-(04)-[04]-12-State Fund | 10,66.81 |
| 41 | 2515-00-197-(05)-[02]-12-State Fund | 1,62,39.27 |
| 30 | 2515-00-197-(05)-[03]-12-State Fund | 32,00.44 |
| 51 | 2515-00-197-(05)-[04]-12-State Fund | 42,67.26 |
| | कुल योग | 2,96,33.71 |

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-5 विभाग की आई. डी. संख्या 271800293 दिनांक 7/16/2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। आवंटित राशि से अधिक का व्यय नहीं किया जावे तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम / नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उक्त राशि का आहरण स्वीकृति में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

भवदीय,

कृष्णलाल मीना

शासन सचिव एवम आयुक्त

जयपुर, दिनांक - 28/08/2018

क्रमांक: - F/165(07)/परावी/ले ब /SFC-5/2018-19/5334

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक वित्त(बजट) विभाग।
- 2 महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख सचिव ग्रा.वि. एवं परावि, शासन सचिवालय, जयपुर।